

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-5/25418/2019-20/

दिनांक :- 04/11/2019

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक,
रा.उ.मा.वि./रा.मा.वि.....

विषय :- विस्तृत मद 04-चिकित्सा व्यय में अतिरिक्त राशि का आवंटन
वित्तीय वर्ष 2019-20


उपरोक्त विषयान्तर्गत विद्यालयों से प्राप्त मांग के आधार पर मांग संख्या 24 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 02 - माध्यमिक शिक्षा, 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय, (01) - लड़कों के विद्यालय (राज्य निधि) के अन्तर्गत विस्तृत मद 04-चिकित्सा व्यय हेतु अतिरिक्त राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए किया जाता है। आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार किया जावे तथा अधिशेष राशि का समर्पण यथाशीघ्र कर दिया जावे।

(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	ऑफिस आईडी	नाम विद्यालय Education News	जिला Group	04-चिकित्सा व्यय	विशेष विवरण
1	4086	GSSS, BOGHERA	चूरु	90000	श्री अरविन्द जोशी प्रधानाचार्य के बकाया दावो हेतु।
2	4772	GSSS, PUHANIYA	झुंझुनूं	5000	श्री श्रवण कुमार व्याख्याता के बकाया दावो हेतु।
3	5959	GSSS, SAMUCHI	अलवर	181300	श्री विरेन्द्र सिंह चौधरी अध्यापक के बकाया दावो हेतु।
4	8772	GSSS, KALWAN(SIKRAY)	दौसा	145000	श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा शारीरिक शिक्षक के बकाया दावो हेतु।
5	9093	GSS, MAJILPURA	जयपुर	121000	श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा अध्यापक की पुत्री के कैंसर रोग के बकाया दावो हेतु।
6	9397	GGSSS, KOTHI KOLIYAN	जयपुर	20000	स्टाफ हेतु।
7	12415	GSSS, NEWRA GANV	जोधपुर	28000	श्री खेमाराम चौधरी के बकाया दावो हेतु।
8	15261	GSSS, RAYALAKALAN	पाली	106300	श्री ओमप्रकाश व्याख्याता के बकाया दावो हेतु।
9	15775	GSSS, HOKRA	अजमेर	58400	श्रीमती हेमलता दादलानी अध्यापिका के कैंसर रोग के बकाया दावो हेतु।
10	16532	GSSS, SANWATGARH	टोंक	640600	श्री सम्पत लाल सोयल व्याख्याता की पत्नि के गंभीर रोग के बकाया दावो हेतु।
11	17475	GSSS, GARHWALO KA KHEDA (HURDA)	भीलवाड़ा	285800	श्री सत्यनारायण यादव शारीरिक शिक्षक की पत्नि के कैंसर रोग के बकाया दावो हेतु।
12	18674	GSSS, NICHALI SIGRI (JHADOL-F)	उदयपुर	23800	श्री हुक्मीचन्द गोडलिया व्याख्याता के बकाया दावो हेतु।
13	26770	GSSS, JAISINGHPURA (AAMER),JAIPUR	जयपुर	41400	श्री प्यारे लाल वरिष्ठ अध्यापक के बकाया दावो हेतु।
14	34474	GSS, GIGASAR (BIKANER)	बीकानेर	20000	श्री महेन्द्र सिंह शारीरिक शिक्षक के बकाया दावो हेतु।
15	35191	GSS, KOJUNDA (GANGRAR)	चित्तौड़गढ़	30800	श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान शारीरिक शिक्षक के बकाया दावो हेतु।
TOTAL :-				1797400	

04-चिकित्सा व्यय अखरे रूपये सत्रह लाख सत्यानवे हजार चार सौ मात्र।


www.rajteachers.com


वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-5/25418/2019-20/
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 04/11/2019

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा.....
- 2 कोषाधिकारी, जिला कोषालय,
- 3 सिस्टम अनालिस्ट, विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
- 4 प्रभारी, पुनः सगाधान दल, कार्यालय हाजा
- 5 प्रभारी कम्प्यूटर प्रभाग (बजट), ऑनलाईन जारी करने हेतु।
- 6 रक्षित पत्रावली



लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/बजट/बी-1/25033/2019-20

दिनांक: 04/11/19

प्रधानाचार्य,

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,

रताऊ (लाडनू) नागौर

ऑफिस आईडी - 12065

विषय :- चिकित्सा व्यय हेतु अग्रिम राशि का आवंटन ।

प्रसंग :- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13601/चि.अ./2016/35

दिनांक: 31.10.2019

--- 000 ---

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक स्वीकृति के क्रम में मांग संख्या-24 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय, (27)-लड़कों के विद्यालय,(01)-लड़कों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध (राज्य निधि) के अन्तर्गत 04-चिकित्सा व्यय में श्री किशनाराम, अध्यापक के "दोनों पैरों के घुटनों का ट्रांसप्लान्ट" के ईलाज हेतु Assistant Professor, Department of Orthopaedics, All India Institute Of Medical Science, New Delhi के क्रम में व्यय राशि 1,50,209/- के विरुद्ध रुपये 1,12,657/- (अखरे रुपये एक लाख बारह हजार छःसौ सत्तावन मात्र) के अग्रिम आवंटन राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.6(4)/एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 16.09.2008 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ किया जाता है :-

1. जब एक बार अग्रिम मंजूर कर दिया गया हो तो अगला अग्रिम तब तक मंजूर नहीं किया जायेगा जब तक की पूर्व अग्रिम की रकम की सीमा तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा समायोजन के लिए प्रस्तुत नहीं कर दिया हो।
2. अग्रिम की सम्पूर्ण रकम इन नियमों के अधीन देय चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के पेटे, रोगी के अस्पताल से छुट्टी देने की तारीख से एक मास के पूर्व न कि उसके पश्चात् अंतिम रूप से समायोजित की जायेगी अन्यथा 12 प्रतिशत ब्याज प्रस्तावित किया जावेगा।
3. अग्रिम राशि का समायोजन कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा दावे के विरुद्ध किया जावेगा जो कर्मचारी द्वारा रोगी के अस्पताल से लौटने के 15 दिन की अवधि में प्रस्तुत किया जावेगा। यदि अग्रिम राशि ऑपरेशन / ईलाज की पुनर्भरण योग्य राशि से अधिक है तो ऐसी राशि कर्मचारी द्वारा रोगी के अस्पताल से लौटने के 15 दिन में राजकोष में सम्बन्धित बजट मद में वापिस जमा करानी होगी। अन्यथा 12 प्रतिशत ब्याज देय होगा।
4. प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा ऑपरेशन / ईलाज की तिथि निर्धारित करने के 15 दिवस पूर्व ही अग्रिम राशि प्रदान की जावेगी।
5. प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह या अन्य किसी कारण से रोगी का ईलाज संदर्भित अस्पताल में नहीं कराया जाता है तो ऐसा निर्णय लिये जाने के 15 दिन में अग्रिम राशि को वापस जमा करवानी होगी लेकिन यह उन प्रकरणों में लागू नहीं होगी जहां प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा चिकित्सा कारणों से ईलाज की तिथि स्थगित कर दी गई हो।
6. चिकित्सा अग्रिम स्वीकार करने का आशय उपचार पर व्यय कुल राशि के पुनर्भरण की सहमति/स्वीकृति नहीं है। अग्रिम का समायोजन/पुनर्भरण चिकित्सा परिचर्या नियमों के प्रावधानानुसार ही अनुज्ञेय होगा।
7. अग्रिम राशि का भुगतान सम्बन्धित चिकित्सालय को डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जावेगा।
8. उक्त शर्त, जिनके अधीन यह राशि स्वीकृत की गई है, की पालना नहीं किया जाना दुराचरण माना जावेगा।

वित्तीय सलाहकार,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 04/11/19

क्रमांक: शिविरा-माध्य/बजट/बी-1/25033/2019-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोडिंग हेतु।
- 2 कोषाधिकारी, जिला कोषालय,
- 3 संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), को क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13601/चि.अ./2016/35 दिनांक: 31.10.19 के क्रम में।
- 4 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), नागौर।
- 5 प्रभारी, पुनः समाधान दल, कार्यालय हाजा।
- 6 प्रभारी कम्प्यूटर प्रभाग (बजट अनुभाग)।
- 7 रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-2/25104/वो.3/2019-20

दिनांक :- 04/11/19

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक


राउमावि/राबाउमावि/समावि/राबामावि,

विषय :-04-चिकित्सा व्यय में अतिरिक्त राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2019-20

उपरोक्त विषयान्तर्गत मांग संख्या 24 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 28-बालिका विद्यालय, 01-बालिका विद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध (राज्य निधि) के अन्तर्गत विस्तृत मद 04-चिकित्सा व्यय हेतु राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए किया जाता है। आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार किया जावे एवं अधिशेष राशि का समर्पण शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से शीघ्र कर दिया जावे।

क्र.सं.	ऑफिस आईडी	नाम विद्यालय	जिला	04-चिकित्सा व्यय	वि.विवरण
1	26954	GGSS,BHADWASIYA (BHADWASIYA),JODHPUR	जोधपुर	225000	श्रीमती अनिता शेखावत के पति के बकाया चिकित्सा बिलो हेतु।
Total :-				225000	

04- अखरे रूपये दो लाख पच्चीस हजार मात्र



वित्तीय सलाहकार

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक :- 04/11/19

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-2/25104/वो.3/2019-20
प्रतिलिपि :-

- 1 कोषाधिकारी, जिला कोषालय,
- 2 उप निदेशक माध्यमिक.....
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक
- 4 सिस्टम अनालिस्ट, विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
- 5 प्रभारी, पुनः समाधान दल, कार्यालय हाजा
- 6 प्रभारी कम्प्यूटर प्रभाग (बजट), ऑनलाईन जारी करने हेतु।
- 7 रक्षित पत्रावली


लेखाधिकारी

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर